(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2021

बउनवान

श्रीमति विष्णु कान्ती पत्नि चेतन प्रकाश बैरवा आँगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं0 10 व 15, मांगरोल जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, अन्ता जिला बाराँ।
2. शहजाद बानो पत्नि अब्दुल हकीम निवासी वार्ड नं0 18, मांगरोल जिला बाराँ।

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन–प्रक्रिया पद पर नियुक्ति निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–	1– स्वयं उपस्थित	(अपीलांट)
	2– स्वयं उपस्थित	(रेस्पो0 क्रम 1)
	3– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक	(रेस्पो0 क्रम 2)

निर्णय दिनांक 22.02.2021

यह अपील अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बाल विकास परियोजना अधिकारी, अन्ता द्वारा जारी अस्थाई कार्यादेश क्रमांक/सीडीपीओ/2020–21/3511–16 से अप्रसन्न होकर, इस न्यायालय में विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 13.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो. क्रम 2 द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की विस्तृत एवं अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील मेमो एवं लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड 10–15 पर महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, अन्ता द्वारा नियम के विपरीत चयन समिति के आदेश के बिना विधि विरूद्ध शहजाद बानो पत्नि अब्दुल हकीम को नियुक्ति दे दी गई। चयन प्रक्रिया अनुसार आवेदन की अन्तिम तिथि 26.07.2019 थी। जिसके 15 दिवस के अन्दर प्रक्रिया पूर्ण कर चयन समिति द्वारा

निर्णय बाद चयन किया जाना था लेकिन महिला बाल विकास कार्यालय, अन्ता द्वारा करीब 1 वर्ष 4 माह बिना उचित कारण चयन नहीं किया गया और अन्त में विधि विरूद्ध नियुक्ति दी गयी। प्रार्थीया के कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति करने बाबत् दिनांक 03.01.2020 व 10.07.2020 को श्रीमान् विशिष्ट सहायक राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास राज0 सरकार को और अतिरिक्त निर्देशक समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर को परिवेदना प्रेषित की गई, जिसके द्वारा निर्देशित करने के बावजूद चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पो0 क्रम 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयनित केन्द्र वार्ड 10, 15 के सहयोगिनी पद पर वर्तमान में केन्द्र वार्ड नं0 18 में कार्यरत थी। इसका नाम पुराना वार्ड नं0 9 एवं 18 दोनों में वोटर लिस्ट में अंकित है, जो अवैधानिक है। आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड 10, 15 पुराने वार्ड के अनुसार ही सर्वे रजिस्टर तैयार किया है तथा इसके अनुसार केन्द्र पर पोषाहार वितरण किया जा रहा है। वार्डो का सीमांकन गलत किया गया है। प्रार्थीया बी.पी. एल धारी है किन्तु उसका नाम बी.पी.एल श्रेणी में नहीं जोड़ा गया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि महिला एवं बाल विकास अधिकारी, अंता द्वारा मांगरोल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र वार्ड नं0 10, 15 पर किया गया चयन निरस्त फरमाया जाकर चयन प्रक्रिया पुनः नियमानुसार शुरू की जावे।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि श्रीमान् निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11(3)/मो./आईसीडीएस/विविध/2019/102916 दिनांक 21.09.2019 के अनुसार शहरी क्षेत्र में मानदेय सेवा कर्मियों के चयन हेतु गठित समिति जिसमें उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित महिला पर्यवेक्षक शामिल है, द्वारा किया गया है। संबंधित केन्द्र पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक 08.07.2019 के बाद अधोहस्ताक्षरकर्त्ता ने अक्टूबर, 2019 में अन्ता परियोजना में महिला बाल विकास अधिकारी पद पर ज्वाईन किया था, शहरी क्षेत्र में चयन 7 सदस्यीय मांगरोल उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जाना था परन्तु नवंबर 2019 में मांगरोल नगरपालिका चुनाव, फिर मांगरोल उपखण्ड की आधी ग्राम पंचायतों में चुनाव में उपखण्ड अधिकारी महोदय की व्यस्तता तथा मार्च 2020 से कोविड–19 महामारी के प्रकोप से यह चयन प्रक्रिया समय–समय पर बाधित रही। महामारी का प्रसार कम होने पर 07.08.2020 को पत्रावली पुनः प्रस्तुत की गई परन्तु निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11(3)/मो./आईसीडीएस/विविध/2019/102916 दिनांक 21.09.2019 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति भंग कर उपनिदेशक स्तरीय कमेटी चयन हेतु गठित कर दी गई। अतः उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पत्रावली नवीन समिति से चयन हेतु लौटा दी गई है। जिसके अनुसार उपनिदेशक स्तरीय कमेटी द्वारा दिनांक 24.11.2020 को चयन किया गया। समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11(3) 10/मो./आईसीडीएस/2015/88190–526 दिनांक 07.06.2017 के अनुसार सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के 75 दिवस में ही पूरी करना सांकेतिक है न कि बाध्यकारी। शहजाद बानो पत्नि अब्दुल हकीम के संलग्न राशन कार्ड में वार्ड नं0 9 का उल्लेख है जिसका पूरा पता पोस्ट ऑफिस के पास मांगरोल वार्ड नं0 9

है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अन्ता द्वारा चयन से पूर्व कार्यालय नगरपालिका मण्डल, मांगरोल जिला बाराँ के पत्र क्रमांक/जनगणना/2020/2475 दिनांक 19.11.2020 को नगरपालिका मांगरोल से वार्ड 10+15 का सीमांकन पूछा गया जिसमें विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व वार्ड 9 शामिल है। स्पष्ट है कि उसी वार्ड की निवासी शहजाद बानो का चयन किया है जिस वार्ड की विज्ञप्ति जारी हुई है। उपनिदेशक चयन समिति द्वारा चयन अभिशंषा का संकलित मूल्यांकन प्रपत्र के अनुसार शहजाद बानो पत्नि अब्दुल हकीम को नियमानुसार सर्वाधिक 7 अंक दिये गये है तथा इसके आधार पर नियुक्ति दी गई है। प्रार्थीया के 5 अंक है और वरीयता में 6 नंबर पर है। अतः निवेदन है कि अपीलांट द्वारा की गई अपील खारिज करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीया वार्ड नं0 19, मांगरोल में सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है तथा अपने पति के निवास स्थाईकरण के अनुसार पुराने वार्ड नं0 10 मांगरोल की निवासी है। अप्रार्थीया के उक्त वार्ड नं0 10 के समस्त सरकारी दस्तावेजात जिसमें राशन कार्ड, पहचान पत्र, मतदाता सूची व अन्य दस्तावेजात पुराने वार्ड नं0 10 के बने हुए है। उक्त पुराना वार्ड नं0 10 वर्तमान वार्ड सीमांकन वार्ड नं0 9 बना दिया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उक्त वार्ड से सही आवेदन किया गया है। चयन समिति ने सभी दस्तावेजात पर गौर फरमाते हुए सहीं चयन किया है। उक्त नियुक्ति के बाबत् प्रार्थना–पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार श्रीमान् को नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थीया को प्रार्थीया से 15,000 रूपये विशेष हर्जाना दिलाया जावे।

मेरे द्वारा प्रकरण में ंउभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अपीलांट रेस्पो0 क्रम 2 के विरूद्ध अन्य वार्ड में रहवास संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है। जबकि रेस्पो0 क्रम 2 के द्वारा रहवास से संबंधित कई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिसके अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी, अन्ता द्वारा जारी अस्थाई कार्यादेश क्रमांक/ सीडीपीओ/2020–21/3511–16 दिनांक 22.01.2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन नियमानुसार हीं जारी किया गया है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ